लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2439

जिसका उत्तर बुधवार, 21 दिसंबर, 2022 को दिया जाएगा

वस्तुओं की सूची की आवधिक समीक्षा

2439. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अधिसूचित वस्तुओं की सूची की आवधिक समीक्षा के लिए एक उचित तंत्र स्थापित करने का कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित और अधिक उपभोग्य वस्तुओं को सूची में शामिल करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संबंधित अधिकारियों द्वारा सामग्री की नकली कमी की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने थोक में आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने वाले व्यवसायों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): सरकार, आवश्यकता और मांग के अनुसार, संबंधित हितधारकों की राय लेने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अनुसूचित आवश्यक वस्तुओं की सूची की समीक्षा करती है।

(ग): इस विभाग को कृत्रिम कमी संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (ङ): आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी अधिनियम), सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने या उसमें वृद्धि करने और उनके समान वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी कीमतों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण इत्यादि को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस निदेश के साथ प्रत्यायोजित की गई हैं कि वे इन शक्तियों का प्रयोग करेंगी। आवश्यक वस्तुओं आदि की जमाखोरी और काला बाजारी जैसी अवैध और अनैतिक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान निरंतर आधार पर लागू किए जाते हैं।

******